सैक्टर IV, डी०आई०जैड० क्षेत्र में पानी की सप्लाई

530. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैक्टर IV डी०आई०जैड० क्षेत्र के सरकारी आवासों के आबंटितियों को पीने का सप्लाई छत पर बनी टंकियों से की जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इन टंकियों पर अभी तक ढक्कन नहीं लगाए गए हैं और इन खुली टंकियों में कीड़े इत्यादि जाते हैं और लोगों को प्रदूषित जल पीना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार इन टंकियों पर ढक्कन लगाने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। ऊपरी टैंकों पर उपयुक्त ढक्कन लगाये गये हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्वार्टरों की मरम्मत

531. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सैक्टर IV, डी० आई० जैड० क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों को आवंटित किये गये मकानों में टूटफूट की मरम्मत, सफेदी आदि के कार्य सरकार स्वयं अपने कर्मचारियों द्वारा करवा रही है अथवा उक्त कार्य किसी गैर सरकारी एजेन्सी द्वारा करवाये जा रहे हैं और यदि ये कार्य किसी गैर सरकारी एजेन्सी द्वारा करवाये जा रहे हैं तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस तरह से करवाए गए कार्यों के संबंध मे हाल ही में कोई सर्वेक्षण करवाया है और यदि है, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इन कार्यों में इस्तेमाल की गई सामग्री बहुत ही घटिया किस्म की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ङ) उन नियमों और शर्तों का, जिनके आधार पर गैर सरकारी एजेंसियों को ठेके प्रदान किए जाते है, ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) छोटी मोटी मरम्मत के कार्य विभागीय श्रमिकों द्वारा किये जाते हैं। प्रमुख मरम्मतों और सफेदी आदि के कार्य पंजीकृत ठेकेदारों से कराये जाते है।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कोटि नियंत्रण कक्ष द्वारा दिसम्बर 1989 में इस कार्य की जांच की गयी थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुये कोई कार्रवाई अपेक्षित नही है।

(ङ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कोड के अनुसार अनुमोदित शर्तों सहित पंजीकृत ठेकेदारों को दिए जाते है।